

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)

क्रमांक -प.1(2)ग्रा.वि/गुप-1/2018

जयपुर, दिनांक 21 MAR 2018

—:आदेश:—

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष, 2013 में आयोजित लिपिक ग्रेड-1A, संयुक्त परीक्षा, 2013 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के पत्रांक प. 1(6)प्र.सु./अनु-3/2017 दिनांक 08.02.2018 के द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियुक्ति हेतु विभाग आवंटित किया गया है। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999, (संशोधन) नियम 2006 एवं 2017 के अन्तर्गत निम्नांकित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर लिपिक ग्रेड-1A (कनिष्ठ सहायक) के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प0 15(1) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/- प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-05 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से एतद्वारा नियुक्ति किया जाता है:-

क.सं.	कर्मचारी का नाम सर्व श्री	पिता का नाम सर्व श्री	श्रेणी	मेरिट नम्बर	रोल नम्बर	जन्म तिथि
1.	अनिल कुमार	शंकर लाल	GE	24	858653	05.01.1995
2.	हनुमान चौधरी	छाजूराम चौधरी	BC	85	237554	15.12.1994
3.	देवेन्द्र कुमार शर्मा	पूरन चन्द शर्मा	GE	326	137485	20.11.1990
4.	संजय शर्मा	प्रभुनारायण शर्मा	GE	432	149687	11.11.1994
5.	नरेन्द्र कुमार	बन्सीराम	BC	558	870477	23.03.1989
6.	हरपाल सिंह	दीपचन्द	GE	721	424317	10.10.1991
7.	जगदीश कुमार	छोटूराम	BC	757	568851	01.01.1988
8.	मोती लाल जाट	रामजीवण जाट	BC	810	196381	22.06.1987
9.	मूलचन्द कीर	लुम्बाराम कीर	BC	857	434823	16.06.1992
10.	रविप्रकाश	बीरमाराम	GE	860	656935	15.10.1994
11.	वनराज सिंह	भंवर सिंह	GE	863	741563	23.10.1994

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है :-

1. उक्त नियुक्ति डी.बी. स्पेशल रिट अपील संख्या-965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 एवं अन्य विविध याचिकाओं/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।
2. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर दें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
4. परिवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

लगातार.....2

(Handwritten Signature)

